न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 03/20 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2020/00012

अनवान्

1. श्री सवाईराम पिता भोलीया उर्फ भोलीराम गाडरी निवासी सनवाड तहसील मावली।
2. श्री मोहनलाल पिता भोलीया उर्फ भोलीराम गाडरी निवासी सनवाड तहसील मावली।
3. श्रीमती राधीबाई पत्नी भोलीया उर्फ भोलीराम गाडरी निवासी सनवाड तहसील मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती नोजीबाई पुत्री भोलीया उर्फ भोलीराम पत्नी नारायण गाडरी निवासी लोपडा तहसील मावली।
2. श्रीमती वरदीबाई पुत्री भोलीया उर्फ भोलीराम पत्नी लालुराम गाडरी निवासी चंगेडी तहसील मावली।
3. श्रीमती अणछाईबाई पुत्री भोलीया उर्फ भोलीराम पत्नी वरदा गाडरी निवासी जोयडा बावजी तहसील मावली।
4. श्री जमनालाल पिता प्रहलादराय अग्रवाल निवासी सनवाड तहसील मावली।
5. श्री देवीलाल पिता गणपतलाल तेली निवासी सनवाड तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 13.04.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली के आराजी नम्बर 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 3707 किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्सा बराबर अनुसार अंकित हैं।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी स्व. श्री भोलीया उर्फ भोलीराम जी गाडरी के समय से चली आ रही हैं। भोलीया गाडरी का करीब नो वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 स्व. श्री भोलीया जी गाडरी की पुत्रीयां हैं। स्व. भोलीया जी द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपनी तीनों पुत्रीयों का विवाह करवा दिया गया था एवं तीनों पुत्रीयों के विवाह के समय ही अपनी तीनों

पुत्रीयों को अपनी हैसियत के अनुसार चल सम्पति दे दी गयी थी। जिससे स्व. श्री भोलीया जी तीनों पुत्रीयां अर्थात् विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने विवाह के समय ही समस्त रिश्तेदारों, पंचो एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों के समक्ष स्व. भोलीया जी की अचल सम्पतियों जिसमें वादग्रस्त आराजीयात भी सम्मिलित है, में अपने समस्त हकों का त्याग कर दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्व. भोलीया जी के जीवनकाल से ही प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज होकर स्व. भोलीया जी के साथ–साथ काश्त का कार्य करते चले आ रहे है एवं भोलीया जी के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थीगण उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सा बराबर के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं।

3. यह कि वर्तमान समय में विपक्षी संख्या 1 से 3 अपने ससुराल में अपने पति के साथ निवास कर रही है। विपक्षी संख्या 1 से 3 का वादग्रस्त आराजीयात में किसी भी प्रकार का कोई भी हक, अधिकार अथवा कोई भी हिस्सा अथवा खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य शेष नहीं बचा है, न ही विपक्षी संख्या 1 से 3 का वादग्रस्त आराजीयात में कब्जा हैं। प्रार्थीगण ही वादग्रस्त आराजीयात में फसले बोकर फसले लेते है एवं काश्त का समस्त कार्य करते चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपने समस्त हकों का त्याग कर दिया गया है एवं वर्तमान में वादग्रस्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 से 3 का कोई हक, अधिकार एवं आधिपत्य शेष नहीं है फिर भी स्व. भोलीया जी के स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विरासत से जो नामान्तरकरण खोला गया उसमें मिलीभगत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण के साथ–साथ विपक्षी संख्या 1 से 3 का नाम भी बतौर खातेदार, काश्तकार दर्ज करवा दिया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा स्व. भोलीया जी की सम्पति में अपने हकों का त्याग कर देने से वादग्रस्त आराजीयात के एक मात्र खातेदार, काश्तकार एवं अधिकारी हिस्सा बराबर से प्रार्थीगण हैं। जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के हिस्सा बराबर से खातेदार काश्तकार बन गये हैं। मौके पर भी इसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेखों में इस बाबत् अंकन नहीं हो पाने से एवं स्व. भोलीया जी की मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में प्रार्थीगण के साथ–साथ विपक्षी संख्या 1 से 3 का नाम भी अंकित हो जाने से प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात हो रहा हैं।

4. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा स्व. भोलीया जी की सम्पति में अपने समस्त हकों का मौखिक रूप से त्याग कर दिया गया था एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 अपने ससुराल गांव में निवास कर रही है एवं उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में मौके पर विपक्षी संख्या 1 से 3 का भौतिक आधिपत्य भी नहीं हैं किन्तु राजस्व अभिलेखों में भोलीया जी की मृत्यु के

पश्चात् वादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम भी दर्ज हो जाने से विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के 1/6 हिस्से को अपनी खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य का बताते हुए एक नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में दिनांक 26.12.2019 को प्रार्थीगण की पीठ पीछे निष्पादित कर दिनांक 30.12.2019 को पंजीकृत करवा दिया गया जिसका विपक्षी संख्या 1 को कोई अधिकार नहीं था। मौके पर भी कोई कब्जा विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को सुपुर्द नहीं किया गया, न कब्जा सुपुर्द किया ही जा सकता था। इस कारण से आधिपत्य विहिन विक्रय पत्र नुमाईशी होकर प्रार्थीगण के विरूद्व शून्य प्रभावी दस्तावेज हैं। इस प्रकार के विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 4 एवं 5 को वादग्रस्त आराजीयात में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है, न ही प्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरीत असर पडता हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में करवाया गया उपरोक्त नुमाईशी विक्रय पत्र विधि की दृष्टि में शून्य प्रभावी दस्तावेज है। जिसे किसी भी न्यायालय से शून्य घोषित कराया जाना भी आवश्यक नहीं हैं।

5. यह कि विपक्षी संख्या 4 एवं 5 वैसे भी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के परिवार से नहीं होकर एक अजनबी क्रेता (स्ट्रेंजर परचेजर) है तथा विपक्षी संख्या 4 एवं 5 द्वारा बगैर कोई लेने देन किये विपक्षी संख्या 1 को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन एवं पंजीयन करवा दिया गया है एवं अब उपरोक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर वाद में अंकित वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 4 एवं 5 जबरन कब्जा करना चाहते है, जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य परिवार की सम्पति क्रय करता है तो बिना विधिक बंटवाडा किये वह सम्पति में प्रवेश नहीं कर सकता हैं। वादग्रस्त आराजीयात के हिस्से बराबर अनुसार अर्थात् 1/3, 1/3 हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी है किन्तु राजस्व अभिलेखों में इस बाबत् अंकन हटाकर प्रार्थीगण के नाम अंकन कराने हेतु कहा गया कि वे राजस्व अभिलेखों में इस बाबत् अंकन करावें तो विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा मना कर दिया गया। जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा हैं।

6. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में अपने समस्त हकों का मौखिक रूप से त्याग कर दिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम 1/3, 1/3 हिस्सेनुसार घोषित कराने बाबत् कहा गया किन्तु विपक्षीगण द्वारा मना कर दिये जाने से, विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के 1/6 हिस्से का नुमाईशी विक्रय पत्र से विपक्षी संख्या 4 एवं 5 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा दिये जाने से, विपक्षी संख्या 4 एवं 5 द्वारा उपरोक्त नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात से जबरन बेदखल

कर दिये जाने की धमकीयां दिये जाने से एवं इस प्रकार की धमकीयां अंतिम बार दिनांक 22.02.2020 को दिये जाने से प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस प्रार्थना पत्र का बिनाय उत्पन्न हुआ। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व आज ही इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराई जावे कि विपक्षीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन कब्जा नहीं करें, न ही प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करें, न ही उनके नाम अंकित आराजीयात को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करें, न ही प्रार्थीगण के आधिपत्य में कोई बाधा पैदा करें, न ही राजस्व अभिलेखों में दौराने वाद कोई परिवर्तन करावें, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 की मौरूसी सम्पति है विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपना हक त्याग कर देने से वादग्रस्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के पिता/पति भोलीया के नाम दर्ज होना बताया तथा भोलीया के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम विरासत के आधार पर दर्ज होना बताया। दस्तावेज के अवलोकन से विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2019 से विपक्षी संख्या 4 व 5 को विक्रय करना जाहिर होता हैं।

प्रार्थीगण के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम विरासत के आधार पर गलत दर्ज हुई है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त भूमि पर काबिज नहीं होकर अपना हिस्सा पिता के जीवनकाल में ही त्याग कर चुकी होना बताया। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन विक्रय किया जाना प्रतीत होता हैं। इसलिए यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द एवं हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा बताया कि विपक्षी संख्या 1 से 3 को उनके विवाह के समय ही चल सम्पति दे दी गई थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा रिश्तेदारों, पंचों एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों के समक्ष भोलीया की अचल सम्पतियों में अपने समस्त हको का त्याग कर दिया गया था परन्तु भोलीया के फौत होने पर विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 3 का नाम भी दर्ज हो जाने से इसका नाजायज फायदा उठा विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 4 व 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई। न्यायालय का यह मामना है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् घोषणा चाही गई है यदि वादग्रस्त भूमि का फर्दन फर्दन विक्रय, हस्तान्तरण होता रहेगा तो इससे प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी तथा प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विपक्षी संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दी। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षीगण वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन विक्रय कर देते है तथा अपने नाम नामान्तरकरण पारित करवा लेते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा एवं

प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया है। इससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। प्रकरण में दिनांक 28.02.2020 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं जिसे मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किये जावेगे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण तक मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 की खाता संख्या 1358 पर दर्ज आराजी नम्बर 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 3707 किता 9 कुल रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली